



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31052021-227275
CG-DL-E-31052021-227275

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289]
No. 289]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 2021/ज्येष्ठ 10, 1943
NEW DELHI, MONDAY, MAY 31, 2021/JYAISHTHA 10, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई 2021

सं. 32/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 355(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात् जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 3 की उप-धारा (12) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा ऐसे माल, जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिनियमों में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उप-शीर्ष अथवा टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं जो उक्त अधिनियमों में विनिर्दिष्ट हैं, पर एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (7) के अंतर्गत उद्ग्रहणीय संपूर्ण एकीकृत कर से, जब वह भारत में आयातित हो, इस अधिसूचना के उपबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, छूट प्रदान करती है।

2. यह अधिसूचना 31 अगस्त, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी और ऐसे माल पर भी लागू होगी जिसकी निकासी इस आदेश के प्रवृत्त होने की तारीख पर लंबित है।

परिशिष्ट

| क्र. सं. | अधिसूचना |
|----------|---|
| 1. | अधिसूचना संख्या 27/2021-सीमा शुल्क दिनांक 20 फरवरी, 2021 [सा.का.नि. 284(अ), दिनांक 20 फरवरी, 2021] |
| 2. | अधिसूचना संख्या 28/2021-सीमा शुल्क दिनांक 24 फरवरी, 2021 [सा.का.नि. 286(अ), दिनांक 24 फरवरी, 2021] |

उपबंध

| शर्त सं. | शर्त |
|----------|---|
| 1. | आयातित माल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, अथवा राज्य सरकार प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी राहत संस्था, इकाई, अथवा सांविदिक निकाय (एतश्मिन पश्चात् जिसे राहत संस्था से संदर्भित किया गया है) को, निशुल्क वितरण हेतु दान किया जायेगा। |
| 2. | आयातकर्ता माल की निकासी के पूर्व, केंद्रीय सरकार अथवा नोडल प्राधिकारी [जिनमें वह जिन्हें तदर्थ छूट आदेश संख्या 4/2021-सीमाशुल्क दिनांक 3 मई, 2021 {सा.का.नि. 316 (अ), दिनांक 3 मई, 2021} के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, शामिल हैं], जैसा परिस्थिति के अनुरूप हो, से एक प्रमाण-पत्र सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करता है, कि आयातित माल केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा उक्त नोडल प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र में जिसकी सिफारिश की गयी हो, उस राहत संस्था, द्वारा कोविड राहत के लिए निशुल्क वितरण हेतु है। |
| 3. | आयातकर्ता आयत के पत्तन पर, सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त के समक्ष, आयात की तारीख के छह माह, अथवा अधिकतम नौ माह तक की विस्तारित अवधि जिसे उक्त सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त अनुज्ञात करे, के भीतर निम्नलिखित प्रस्तुत करता है, यथा- (क) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार, जैसा परिस्थिति के अनुरूप हो, से एक प्रमाण-पत्र कि आयातित माल उनके द्वारा निशुल्क वितरण हेतु प्राप्त कर लिया गया है; अथवा (ख) यदि आयातित माल नोडल प्राधिकारी की सिफारिश पर राहत संस्था को दान किया गया हो, तो निशुल्क वितरित माल का विवरण, जो कि राज्य सरकार के उक्त नोडल प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित हो। |

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/37/2021-टीओ(टीआरयू-1)-सीबीईसी(पीटी-1)]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2021

No. 32/2021-Customs

G.S.R. 355(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description as specified in the notifications listed in the Appendix below, falling within the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the said notifications, when imported into India, from the whole of the integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3 of the said Customs Tariff Act, read with section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), subject to the conditions specified in the Annexure to this notification.

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 31st day of August, 2021 and shall also apply to goods which are pending for clearance on the date of coming into force of this notification.

APPENDIX

| S. No. | Notification |
|--------|---|
| 1. | Notification No. 27/2021-Customs, dated the 20 th April, 2021 [G.S.R. 284(E), dated the 20 th April, 2021] |
| 2. | Notification No. 28/2021-Customs, dated the 24 th April, 2021 [G.S.R. 286(E), dated the 24 th April, 2021] |

ANNEXURE

| Condition No. | Condition |
|---------------|---|
| 1. | The imported goods are donated to the Central Government or State Government or, on recommendation of State authority, to any relief agency, entity or statutory body (hereinafter referred as “relief agency”) for free distribution. |
| 2. | Before clearance of the said goods, the importer submits to the Deputy or the Assistant Commissioner of Customs, a certificate from the Central Government, or a nodal authority [including as appointed by a State Government for the purposes of Ad hoc Exemption Order No. 4/2021-Customs, dated the 3 rd May, 2021 {G.S.R. 316(E), dated the 3 rd May, 2021}], that the imported goods are meant for free distribution for COVID relief, as the case may be, by the Central Government, State Government, or a relief agency as recommended by the said nodal authority in such certificate. |
| 3. | The importer produces before the Deputy or the Assistant Commissioner of Customs at the port of import, within a period of six months from the date of importation, or within such extended period not exceeding nine months from the said date as that Deputy or Assistant Commissioner of Customs may allow,- (a) a certificate from the Central Government or State government, as the case may be, that the imported goods were received by them for free distribution; or (b) in case the imported goods are donated to any relief agency on the recommendation of the nodal authority, a statement containing details of the said goods distributed free of cost, duly certified by the said nodal authority of the State Government. |

[F. No. CBIC-190354/37/2021-TO(TRU-I)-CBEC(Pt-I)]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.